



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट
14-अशोक मार्ग शक्ति भवन(वि०), लखनऊ, 226001

✉ Secretary.cpftrust@uppcl.org www.uppst.org

संख्या: I/39222/2026/54CPFTRUST/DVVNL/CORRESS/2020 दिनांक: 28-01-2026

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित वाद M.A. (Diary) No. 4407/2023 के सापेक्ष दिनांक-05.11.2024 को पारित निर्णय के अनुपालन में विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पत्रांक-15/विसेआ दिनांक-06-02-2025 एवं पत्रांक-I/5266/2025 दिनांक-19.02.2025 के अनुक्रम में पावर कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-I/6311/2025/E-7/PA-2 दिनांक-07.03.2025 के माध्यम से 95 टी०जी०-2 कार्मिकों को उनकी पूर्व नियुक्ति तिथि से पुनर्बहाल किए जाने के दृष्टिगत कार्मिकों के सी०पी०एफ० खातों के पुनः संचालन हेतु निम्नवत् प्रक्रिया अपनायी जाती है:-

1. ट्रस्ट के कार्यालय ज्ञाप 104/80/CPFTRUST/ERP/2020 दिनांक-28.01.2023 के अनुपालन में पुनर्बहाल टी०जी०-2 कार्मिकों का ERP SAP के माध्यम से नया सी०पी०एफ० खाता खोला जायेगा।
2. पुनर्बहाल किये गये टी०जी०-2 कार्मिकों को पूर्व में आवंटित सी०पी०एफ० खाता संख्या में जमा अंतिम अवशेष पर अद्यतन तक ब्याज की गणना करते हुए कुल अवशेष को नव आवंटित सी०पी०एफ० खाते में अंतरित किया जायेगा अर्थात् पूर्व अवशेष धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
3. उ०प्र०पा०का०लि० अंशदायी भविष्य निधि नियमावली, 2004 के नियम सं०-45 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार पुनर्बहाल किये गये टी०जी०-2 कार्मिकों में से जिन कार्मिकों को उनके पूर्व आवंटित सी०पी०एफ० खाते के सापेक्ष भुगतान किया जा चुका है, उनसे नियमानुसार ब्याज सहित कुल धनराशि वापिस ली जायेगी। ब्याज सहित कुल धनराशि की गणना किये जाने हेतु Excel Facility ट्रस्ट की Website www.uppst.org पर उपलब्ध है।
4. पुनर्बहाली के पश्चात् जिन कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, उनके पूर्व आवंटित सी०पी०एफ० खाते का अंतिमीकरण करते हुये नियम सं०-34 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार ब्याज की गणना की जायेगी।
5. उपरोक्त व्यवस्था केवल मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित याचिका M.A. (Diary) No. 4407/2023 एवं सम्बन्ध अन्य एप्लीकेशन के सापेक्ष

दिनांक- 05.11.2024 को पारित निर्णय के अनुपालन में पुनर्बहाल किये गये टी0जी0-2 कामिकों के सम्बन्ध में लागू होगी।

निदेशक (का0 प्र0 एवं0प्रशा0)

30प्र0पा0का0लि0

पत्र सं0:-/1/39222/2026/54/CPFTRUST/DVVNL/CORRESS तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, 30प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, 30प्र0पा0का0लि0/एस0एल0डी0सी0/पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/ केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
3. निदेशक (वित्त), 30प्र0पा0का0लि0/30प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (का0प्र0एवं0प्रशा0), 30प्र0पा0का0लि0/30प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (आई0टी0), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), 30प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. निदेशक (वित्त/का0 एवं प्रब0), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/ केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
8. महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), 30प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), 30प्र0पा0का0लि0, डालीबाग, लखनऊ।
10. अपर पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
11. समस्त कार्मिक ट्रस्टीज, 30प्र0पा0का0लि0, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट।
12. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), 30प्र0पा0का0लि0/30प्र0पा0ट्रां0का0लि0/पूर्वांचल/ मध्यांचल/ दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
13. उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
14. उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), 30प्र0पा0का0लि0/30प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), 30प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

16. अधीक्षण अभियन्ता (आईटी), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
18. उप सचिव, 30प्र0पा0का0लि0, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन (वि0), लखनऊ।
19. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, 30प्र0पा0का0लि0/30प्र0पा0ट्रां0का0लि0/एस0एल0डी0सी0/पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
20. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट-www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
21. लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण-मध्य/उत्तर-पूर्व/दक्षिण-पूर्व/पश्चिम/दक्षिण-मध्य/दक्षिण-पश्चिम, 30प्र0पा0ट्रां0का0लि0, लखनऊ/गोरखपुर/प्रयागराज/मेरठ/झांसी/आगरा।
22. लेखाधिकारी (सी0पी0एफ0/सी0पी0सी), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
23. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), 30प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
24. लेखाधिकारी, केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ, 30प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
25. लेखाधिकारी, मुख्यालय भुगतान इकाई, 30प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
26. लेखाधिकारी (सा0प्र0), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, महानगर, लखनऊ।
27. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, 30प्र0 पावर कारपोरेशन, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन (विस्तार), लखनऊ।
28. कार्यालय प्रति।



(अमित रंजन)

सचिव (ट्रस्ट)